"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2006 — ज्येष्ठ 9, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1038.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. अशोक तिवारी (पप्पू महराज) को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1039.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. ओंकार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1040.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. कन्हैया लाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1041.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. डूला राम उपाध्याय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1042.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. राजेन्द्र कौशिक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1043.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. रामनारायण राव शिन्दे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-4/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1044.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. लक्ष्मी नारायण दुबे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-22/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/997.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कटघोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती जयश्री को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1005.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1006.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. दद्दी बाई को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1007.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ओमप्रकाश को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1008.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री देवेन्द्र तिवारी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1009.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री फारूक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1010.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री रंगलाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1006.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. ददुदी बाई को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1007.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ओमप्रकाश को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-27/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1008.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत झगराखांड, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री देवेन्द्र तिवारी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-29/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/999.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कुसमी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री चन्द्रबसु को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-29/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1000.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कुसमी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री निर्मल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-29/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1001.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कुसमी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. मरियानुस कुजूर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-29/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1002.— द्वारा दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कुसमी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. राजेन्द्र राम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-29/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1003.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कुसमी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. रामदेव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-29/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1004.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत कुसमी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. शोभानाथ भगत को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-52/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1045.— दिसम्बर 2005 नगरपालिका परिषद् बलौदा बाजार के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. मोहम्मद जिलानी उर्फ तानी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-52/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1046.— दिसम्बर 2005 नगरपालिका परिषद् बलौदा बाजार के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. दिनेश कुमार यदु को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-54/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1034.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती प्रमिला सिन्हा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-54/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1035.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. निर्मला को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-54/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1036.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. उर्मिला को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-54/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1037.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती सावित्री को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1021.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रवण नायक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1022.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. सूरज सोनी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1023.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. हेमलता नशीने को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1024.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भुवनलाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1025.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री बैसाखु राम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1026.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ठाकुर राम वर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1027.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जीवन विश्वकर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1028.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री घनाराम नशीने को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1029.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री किशन लाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1030.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ओम प्रकाश साहू को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-56/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1031.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अब्दुल रज्जाक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1047.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. हीरालाल साहू को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1048.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. भूरेलाल वर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1049.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. रमेश को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1050.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. भगवती प्रसाद धुरंधर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1051.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. धनेश कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1052.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. बिमला साहू को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-58/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1053.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत पलारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. तरुण कुमार चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-90/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/997.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री महेश को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-94/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1032.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् कवर्धा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री रामकृष्ण मिश्र को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-94/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1033.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् कवर्धा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जमैयतद्दीन उर्फ चुनवा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1014.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. मो. असलम मेमन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1015.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जमाल मास्टर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1016.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री संजय कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1017.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अब्दुल कलीम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1018.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अब्दुल गफ्फार जमाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1019.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अब्दुल शकुर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-98/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1020.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत केशकाल के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कानमल जैन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-9/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1061.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत रतनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. जंयती सूर्यवंशी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-51/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1062.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् भाटापारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अमर सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-51/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/1063.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् भाटापारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री रेखचंद कोसले को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.